

156



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मडल ग्वालियर केम्प सागर

राजू लोधी तनय श्री रामसनेही लोधी
निवासी ग्राम जमुनिहा तह. लवकुशनगर
जिला छतरपुर

निज - 1865 - III - 14

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

.....अनावेदक

म.प्र.शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/2/14 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं :-

..... संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जमुनिहा मौजा डंडिया

3

B.O.R.

3 JUN 2014

कलेक्टर
जमुनिहा, सागर सम्भाग,
छतरपुर (म. प्र.)


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-1865-तीन/2014

जिला- छतरपुर

राजू लोधी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 22-08-2019 | <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 61/स्व.निगरानी/2012-2013 में पारित आदेश दिनांक 10-02-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p>(जे०के० जैन) सदस्य</p> | |